क्रमांक–208/एल.सी/प्र.अ./2010 पार्ट–3
कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग,मध्यप्रदेश
जल संसाधन भवन, तुलसीनगर, भोपाल– 462003
फोन नं.0755–2552646–2552878 फैक्स नं.–2552406–2551253
E-mail-encwrbpl-mp@nic.in

भोपाल, दिनांक /07/2019

प्रति,

समस्त मुख्य अभियंता,

....

जल संसाधन विभाग,

....

विषय :– न्यायालयीन प्रकरणों में प्रभारी अधिकारियों के लिए दिशा निर्देश ।

संदर्भ :– म0प्र0 शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल का पत्र कमांक 3135/21–ब (दो), भोपाल, दिनांक 11.07.2019

विषयांकित संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न है, जिसमें न्यायालयीन प्रकरणों हेतु प्रभारी अधिकारियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए गये है ।

कृपया संदर्भित पत्र में दिए गये निर्देशानुसार कड़ाई से पालन करने हेतु अधीनस्थ प्रभारी अधिकारियों को निर्देशित करें ।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार ।

मुख्य कार्मिक अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग,भोपाल

पृ0क0/208/एल.सी./प्र.अ./2010 पार्ट–3 भोपाल, दिनांक 19/07/2019

प्रतिलिपि :–

वेब मैनेजर, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग भोपाल की ओर प्रविष्टि हेतु ।

19.7.19.

मुख्य कार्मिक अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग,भोपाल

PVDI

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

क्रमांक 3135/21-ब(दो)

भोपाल, दिनांक 11/07/2019

प्रति,

अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव,
म.प्र. शासन के समस्त विभाग

विषयः- न्यायालयीन प्रकरणों में प्रभारी अधिकारियों के लिये दिशा निर्देश।

--00--

प्रभारी महाधिवक्ता द्वारा अवगत कराया है कि विभिन्न विभागों में न्यायालयीन प्रकरणों में नियुक्त प्रभारी अधिकारियों के द्वारा महाधिवक्ता कार्यालय जबलपुर एवं अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय इंदौर/ग्वालियर के समक्ष उपस्थित होकर सक्षम प्राधिकारी से फाईल मार्क कराये बिना ही विधि अधिकारियो से जवाब बनवाये जाने के लिये सम्पर्क किया जाता है। अधिकृत विधि अधिकारी से फाईल मार्क न कराये जाने से बनाये गये जवाब की कोई जानकारी महाधिवक्ता कार्यालय ~~में~~ उपलब्ध नहीं होती है न ही प्रकरण के महत्व के अनुसार प्रकरण विधि अधिकारियों को आवण्टित हो पाते हैं । अतः सभी विभागों को निर्देश जारी किये जाएं कि वे अपने विभागों के समस्त प्रभारी अधिकारियों को निर्देशित करें कि महाधिवक्ता/अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालयों में वे अधिकृत प्राधिकारी से फाईल मार्क करवा कर ही न्यायालयीन प्रकरणों में जवाब तैयार करायें या अन्य कार्यवाही करें ।

अतः महाधिवक्ता कार्यालय के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के तारतम्य में अनुरोध है कि अपने विभाग से सम्बन्धित न्यायालयीन प्रकरणों के समस्त प्रभारी अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि वे महाधिवक्ता/अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालयों में अधिकृत प्राधिकारी से फाईल मार्क करवाकर ही प्रकरणो में जवाब तैयार कराने या अन्य आवश्यक कार्यवाही हेतु विधि अधिकारियों से सम्पर्क करें ।

10-7-19

(संतोष प्रसाद शुक्ल)
अतिरिक्त सचिव
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक .../07/2019

पृ. क्रमांक 3135/21-ब(दो)

प्रतिलिपि :

1. श्री शंशाक शेखर, प्रभारी महाधिवक्ता, जबलपुर

की ओर संदर्भित पत्र के संबंध में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

(संतोष प्रसाद शुक्ल)
अतिरिक्त सचिव
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

16 JUL 2019

S.E.		S.E. (P)
E. (R.M.)		C.P.O.
C.E. (P)	17/7	E.E. (M)
S.E. (RA&DC)		E.E. (B)
S.E. (M)	Sr.P.A.	S.A. (EDP)

E-IN-C

1308 / 12/7/19